

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ / 18, दिनांक 23 फरवरी-2018,
-:: आदेश ::-

मुख्यालय के आदेशांक 205/18 दिनांक 29.01.18 द्वारा माह फरवरी-2018 हेतु न्यायिक सदस्य पीठ-1 लखनऊ व सदस्य पीठ-3 लखनऊ की युगल पीठ लखनऊ पीठ-1/2/3 के वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 19.2.18 से 24.2.18 तक के लिए गठित की गयी थी। उक्त गठित युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 23.2.18 व 24.2.18 के लिए सदस्य पीठ-1 लखनऊ के स्थान पर अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण के साथ पीठ गठित की जाती है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

एच/23/2/18

(राजेन्द्र कुमार-IV)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/311 /2018, तददिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1/2/3 लखनऊ।
- 2- राज्य प्रतिनिधि (युगलपीठ), पीठ-1/2/3 लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसिएशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर से अंगत करायें।
- 4- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुन्सरिम मुख्यालय।
- 5- वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,
प्र0 निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।